



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
उप-कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़)
Sub-Office, Shimla (Regional Office, Chandigarh)
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001



Shimla, Himachal Pradesh – 171001

ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in, दूरभाष/Tel.0177-2658285, फैक्स/Fax: 0177-2657517

Dated: As mentioned in E-signature

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार

आमर्सडेल बिल्डिंग, शिमला।

(E-mail: forestsecy-hp@nic.in)

विषय

Diversion of 41.815 ha.(now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/37858/2018)

सन्दर्भ:

नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.) का पोर्टल पर अपलोड किया गया पत्र संख्या-HPFD-F05/288/2025-FCA दिनांक 15.01.2026

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त प्रस्ताव की और दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा- 2** के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है। इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.02.2025 द्वारा **सैद्धांतिक स्वीकृति** प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट नोडल अधिकारी-सह-एपीसीसीएफ (एफसीए) पत्र संख्या HPFD-F05/288/2023-FCA दिनांक 20.12.2025 (**ऑनलाइन पोर्टल**) को प्राप्त हुई किन्तु प्रस्ताव में कमी के कारण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.01.2026 को ई.डी.एस. किया गया जिसकी अनुपालना रिपोर्ट नोडल अधिकारी-सह-एपीसीसीएफ (एफसीए) पत्र संख्या HPFD-F05/288/2023-FCA दिनांक 15.01.2026 (**ऑनलाइन पोर्टल**) को प्राप्त होने के उपरांत केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य **33.3292 हेक्टेयर** वन भूमि के उपयोग हेतु **विधिवत स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

- वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।
- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
- काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार **5 हे. वन भूमि** Block/compartament/Survey No-H43F7, Village Mehach, Bhadaidhar, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, **10 ha** in Block/compartament/Survey No-H43F7, Village: Parta, Jhali, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, **10 ha** in Block/compartament/Survey NoH43F7, Village:Maroth & Pokhi, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, **05 ha** in Block/compartament/Survey No-H43F7, Village: Restadhar, Pangna Forest Range, Karsog Forest Division, **10 हे०** वन भूमि Block/compartament/Survey No-DPF Patta, Village: Batwara, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, **10 हे०** वन भूमि Block/compartament/Survey No-DPF Aien Sunali, Village: Ropa Padhana, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, **10 हे०** वन भूमि Block/compartament/Survey No:- ND286 Hara-II, Village: Haraboi, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, **07 हे०** वन भूमि Block/compartament/Survey No-OD210 DPF Jartu, Village: Batwara, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division Distt. Mandi, कैम, Himachal Pradesh पर पौधारोपण

- का कार्य पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाये।
- v. State Govt. has submitted the amount of the SMCP and WLMP on 26.03.2025 subsequently as per provision of Para-1.22 (iv) of Consolidated Guidelines And Clarifications Issued Under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, detailed SMC and WLM plan has to be submitted within one year from the deposition of amount. State Govt. shall submit the detailed SMC/WLM plan duly approved by the competent authority to this office.
 - vi. **प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।**
 - vii. CEO, State CAMPA, इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित सीए योजना के अनुसार CA वृक्षारोपण के लिए DFO को CAMPA Scheme के तहत धनराशि जारी करना सुनिश्चित करेंगे।
 - viii. DFO अनुमोदित CA Sites पर वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करेंगे और MoEF&CC की अनुमति प्राप्त किए बिना अनुमोदित CA Sites को नहीं बदलेगें।
 - ix. **राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी ।**
 - x. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।
 - xi. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे ।
 - xii. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी । इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि जो भी कम हो के सह-समाप्ति होगी ।
 - xiii. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
 - xiv. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज तथा गति अवरोधक लगाए जाएंगे।
 - xv. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों जहां-जहां संभव हो अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip planation की जाएगी।
 - xvi. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे ।
 - xvii. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
 - xviii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा ।
 - xix. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा ।
 - xx. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जायेगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।
 - xxi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है ।
 - xxii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
 - xxiii. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन **वन(संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980** का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023** के बारे में जारी **Consolidated Guidelines** में उल्लेखित दिशानिर्देश **1.16** के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

- xxiv. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेशआदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।
- xxv. **This approval is subject to the final outcome wrt Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025 and 04.03.2025.**

2. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है।

भवदीय,
Sd/-
(राजा राम सिंह)
उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: nodalcahp@yahoo.com).
2. वन मण्डल अधिकारी सुकैत वन मण्डल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश (E-mail: head-fordivsuk-hp@hp.gov.in)
3. वन मण्डल अधिकारी करसोग वन मण्डल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश (E-mail: head-fordivkar-hp@hp.gov.in)
4. अधिशाषी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सुंदरनगर जिला: मंडी हिमाचल प्रदेश (E-mail: ee-sun-hp@nic.in)